[2018] 4 उम. नि. प. 137

खुर्शीद अहमद

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

15 मई, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

रणबीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1989 का 12) – धारा 302 और 341 – हत्या – हेतु – दोषसिद्धि – अभियुक्त तथा मृतक के बीच लेन-देन को लेकर घटना के दिन झगड़ा होना – अभियुक्त द्वारा बाद में मृतक के सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार किया जाना – मृतक को पहुंची क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाना – अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता इंगित होने और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से होने पर अपराध कारित करने के लिए हेतु को साबित न करने की बात महत्वहीन हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाने पर उसकी दोषसिद्धि उचित है तथा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

रणबीर दंड संहिता, 1989 – धारा 302 और 341 [सपठित जम्मू और कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, 1977 संवत् की धारा 3] – हत्या – घनिष्ठ नातेदार साक्षी का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य – विश्वसनीयता – दोषसिद्धि – यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य विश्वासोत्पादक है, भले ही वह आहत का घनिष्ठ नातेदार है, तो इसकी संपुष्टि की ईप्सा किए बिना छोटी-मोटी तात्विक विशिष्टियों के साथ उसका अवलंब लिया जाना उचित होगा और उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

जम्मू और कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 संवत् (1989 का 23) – धारा 423 – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – उच्च न्यायालय की शक्ति – दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की हस्तक्षेप करने की शक्ति हालांकि एक जैसी है, किंतु निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में होती है और जहां दो मत संभव हों, वहां अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा अपितु तब

हस्तक्षेप करेगा जब उसका यह विचार है कि साक्ष्य का मूल्यांकन गलत बातों पर आधारित है और विचारण न्यायालय द्वारा अवैधता बरती गई है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, मृतक (अरशद सजाद), जो हार्डवेयर सामग्री का एक दुकानदार था, अपने पिता सजाद अहमद भट (अभि. सा. 9) के साथ सायंकाल में लगभग 5.00 बजे दुकान बंद करने के पश्चात् अपने घर जा रहा था, जब वे रास्ते में थे तब मस्जिद के निकट अपीलार्थी-अभियुक्त ने विपरीत दिशा से आकर उनका रास्ता अवरुद्ध किया और उन्हें गालियां देने लगा । जब वे उसकी गालियों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगे तो अपीलार्थी ने अरशद सजाद पर पीछे से उसके सिर पर लोहे की एक छड़ से आक्रमण किया । क्षतिग्रस्त अरशद सजाद और उसका पिता इसके पश्चात् अली मोहम्मद (अभि. सा. 3) नामक व्यक्ति के क्लीनिक पर गए और उसके परामर्श पर वे पुलिस थाना, भडेरवाह गए तथा पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया । तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 341/323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । इसके पश्चात्, पुलिस ने क्षतिग्रस्त को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल, भडेरवाह भेजा । चूंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे बेहतर उपचार के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जम्मू स्थानांतरित किया गया, किंतु क्षतियों के कारण रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को धारा 302/341 में तब्दील किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् अन्वेषण किया, जिसमें यह प्रकट हुआ कि वास्तव में मृतक पर आक्रमण करने का अभियुक्त का हेतु दिन में पहले एक वित्तीय लेन-देन को लेकर उनके बीच मृतक की दुकान पर हुए एक झगड़े से संबंधित था । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दी गई गारंटी और वचन के आधार पर मृतक ने गियासुद्दीन नामक व्यक्ति को कुछ जी. आई. शीटों का प्रदाय किया था । जब अपीलार्थी मृतक की दुकान पर आया, तो उसने अपीलार्थी पर संदाय करने के लिए जोर दिया । उस बात को लेकर अपीलार्थी और मृतक के बीच हाथापाई हुई थी । अपीलार्थी ने दुकान से जाते हुए यह घोषणा की कि वह मृतक को किसी और समय देख लेगा और जब सायंकाल में मृतक और उसका पिता (अभि. सा. 9) अपने घर जा रहे थे, तब अभियुक्त रास्ते में उनसे मिला और मृतक के सिर पर आक्रमण किया । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया

गया । विचारण न्यायालय पूर्णरूपेण विचारण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में असफल रहा है और अन्य साक्षियों सहित एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (मृतक का पिता) का कथन असंपुष्टिकारी रहा है और क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए अभियुक्त को रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 के अधीन अभिकथित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया । जम्मू और कश्मीर राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील का न्यायनिर्णयन करने के उपरांत उच्च न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष निकाला और यह मत व्यक्त किया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (मृतक के पिता) के साक्ष्य की संपुष्टि मौखिक, दस्तावेजी और विशेषज्ञ साक्ष्य से सम्यक् रूप से की गई है और विचारण न्यायालय ने इसे अनुचित रूप से नामंजूर करके न्याय की गंभीर हानि कारित की है । अतः, उच्च न्यायालय ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 के अधीन आरोपों के लिए दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में तब्दील करते हुए दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतक द्वारा पुलिस थाने में की गई मौखिक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो कि एक विश्वसनीय दस्तावेज है और शिकायत घटना के ठीक पश्चात् की गई थी । इस न्यायालय ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोश नहीं है । यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते समय इसमें अपराध से संबंधित प्रत्येक ब्यौरा अंतर्विष्ट होना चाहिए । यहां इस मामले में इत्तिलाकर्ता, जिसे सिर पर गंभीर क्षति पहुंची थी और जो अपने पिता (अभि. सा. 9) के साथ अभि. सा. 3 के क्लीनिक पर और बाद में पुलिस थाने गया था, अत्यधिक तनाव में रहा होगा । ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक दशा को समझा जा सकता है । ऐसी मानसिक हालत में, उनके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में घटनाओं का संपूर्ण घटना-क्रम प्रकट करने में असफल रहना न तो अस्वाभाविक है और न ही अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । विचारण न्यायालय द्वारा मृतक के दो कथनों का गलत अर्थान्वयन किया गया है जिनमें से एक घटना के ठीक पश्चात् पुलिस थाने में किया गया

था और दूसरा अस्पताल में तब किया गया था जब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी । इस न्यायालय का यह मत है कि मृतक के अस्पताल में किए गए पश्चात्वर्ती कथन का, जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था, अभि. सा. 9 के साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है तथा इसे अविश्वसनीय मानने का कतई कोई कारण नहीं है और इस बाबत दी गई दलील सारहीन है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि तारीख 21 मई, 2006 को पुलिस द्वारा अभियुक्त के बताने पर अपराध के आयुध के रूप में प्रयुक्त 3 फुट लंबी और 8 सेंटीमीटर परिधि की लोहे की छड़ बरामद की गई थी । मोहम्मद हफीज़ (अभि. सा. 2) और अबीद हुसैन (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से भी अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होती है और हमले की बात साबित होती है क्योंकि अभि. सा. 2 और 10 ने स्वयं मृतक से उस पर हमले होने की बात सुनी थी । अभि. सा. 10 ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दिन के समय अभियुक्त और मृतक के बीच मृतक की दुकान पर झगड़ा होते हुए और अभियुक्त द्वारा धमकी देते हुए भी देखा था । उसने यह भी कथन किया कि मृतक को उसकी मोटर साइकिल पर अस्पताल ले जाया गया था और वह मृतक का दाह-संस्कार होने तक सारे समय उसके साथ था । अभि. सा. 2 और 10 ने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त के बताने पर अपराध के आयुध (लोहे की छड़) की बरामदगी को भी देखा था, क्योंकि पुलिस द्वारा आयुध की बरामदगी उनकी मौजूदगी में की गई थी । अतः, अभि. सा. 2 और 10 की मौजूदगी में आयुध की उक्त बरामदगी से और उनके अभिसाक्ष्यों से अभियोजन का पक्षकथन संपुष्ट और मजबूत होता है । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि 12 घंटे की अवधि के भीतर किसी कुंद वस्तु से सिर पर पहुंची क्षति मृत्यु का कारण थी । डाक्टर द्वारा अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि मृतक के शरीर पर पाई गईं क्षतियां मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । यह भी प्रकट किया गया कि अस्पताल में आरंभिक उपचार करते समय मृतक ने उसे बताया था कि जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो किसी व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया था । डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बात स्पष्ट की कि जब मृतक को पर्यवेक्षण में रखा गया था, तब वह पूरे होश में था और एक शल्यक्रिया विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था । रोगी को बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जम्मू स्थानांतरित करने हेतु ऐंबुलेंस भी प्रदान की गई थी । वह एक्स-रे की अन-उपलब्धता के कारण आरंभ में बाएं ललाटीय पार्श्विक अस्थि के अस्थिभंग का पता

नहीं लगा सका था, किंतु यदि इसका पता भी लग जाता, तब भी यह घातक ही हो सकता था, किंतु कुछ मामलों में यदि विशेषज्ञता-प्राप्त उपचार दिया जाता है तो जीवन बचाया जा सकता है । हमारे सुविचारित मत में, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और डा. राज कुमार (अभि. सा. 13) के साक्ष्य से अभि. सा. 9 के साक्ष्य की पूर्ण रूप से संपुष्टि होती है । अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि फरीद इकबाल (अभि. सा. 1) ने, जो एक स्वतंत्र साक्षी है, उस झगड़े की बात को साबित किया है जो मृतक की दुकान पर हुआ था और क्रोधित अभियुक्त मृतक को यह चेतावनी और धमकी दे रहा था कि वह उसे किसी समय देख लेगा । अभि. सा. 4-नज़ीर अहमद ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने मरणोत्तर परीक्षा के समय कोरे कागज़ पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे । तथापि, उसने मृतक का शव (प्रदर्श पीडब्ल्यू-एनएच) प्राप्त करने की बात को साबित किया है । अभि. सा. 5-रियाज़ अहमद ने भी मृतक का शव प्राप्त करने की बात को साबित करते हुए यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक की मृत्यु के 20-25 दिन पश्चात् पुलिस ने मृतक की दुकान से एक रजिस्टर अभिगृहीत किया था और वह उसका साक्षी था । अभि. सा. 7-मोहम्मद रमज़ान ने यह कथन किया कि जब वह वर्ष 2006 में अस्पताल गया था, तब उसकी मौजूदगी में मृतक के शरीर से वस्त्र उतारे गए थे । तद्नुसार, उसने मृतक के वस्त्रों को अभिगृहीत करते हुए देखा था और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पीडब्ल्यू-एमआर) पर अपने हस्ताक्षर किए थे । मोहम्मद सलीम (अभि. सा. 8) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने मृतक के वस्त्र अभिगृहीत किए थे और उसने अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए थे । अभि. सा. 11-इस्तियाक अहमद और अभि. सा. 12-अमजद हनीफ ने भी अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतः समर्थन किया है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता इंगित होती है और अपराध कारित करने के लिए हेतु को साबित न करने की बात इस मामले के तथ्यों में महत्वहीन हो जाती है । पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए और संपूर्ण सामग्री के सिंहावलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है और अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील में कोई सार नहीं है और तद्नुसार खारिज की जाती है । (पैरा 15, 18, 19, 20, 23 और 33)

यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य विश्वासोत्पादक है, भले ही वह आहत का घनिष्ठ नातेदार है, तो इसकी संपुष्टि की ईप्सा किए बिना छोटी-मोटी तात्विक विशिष्टियों के साथ उसका अवश्य अवलंब लिया जाना चाहिए । निस्संदेह यह सत्य है कि न्यायालयों को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते समय अवश्य सचेत रहना चाहिए । जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अभि. सा. 9 द्वारा अपने साक्ष्य में किए गए घटना के वर्णन से स्पष्ट रूप से वह रीति प्रतिबिंबित होती है जिस रीति में अभियुक्त ने मृतक पर आक्रमण किया था और सिर पर घातक क्षति कारित की थी । मृतक के पिता (अभि. सा. 9) के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में करना चाहिए । इस न्यायालय की राय में, अभि. सा. 9 का परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक है और घटनाओं की शृंखला तथा इसके पारिस्थितिक साक्ष्य से उसके कथन का पूर्ण रूप से समर्थन होता है और इसके परिणामस्वरूप अभियोजन का पक्षकथन किसी संदेह के बिना मजबूत होता है । इस न्यायालय को यह विश्वास करने में कोई संकोच नहीं है कि अभि. सा. 9 घटना का एक 'स्वाभाविक' साक्षी है । सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसका साक्ष्य अंतर्निहित रूप से विश्वसनीय और पूर्णतः भरोसेमंद हैं । (पैरा 27)

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की शक्ति वैसी ही है जो दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में है । किंतु दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में होती है और यह दोषमुक्ति के आदेश द्वारा और मजबूत हो जाती है । साथ ही, अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में मुख्य रूप से वहां हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि दो मत संभव हैं, अपितु केवल तब हस्तक्षेप करेगा जब उच्च न्यायालय यह समझता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन गलत बातों पर आधारित है और जब विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में स्पष्ट अवैधता हो । प्रस्तुत मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन में स्पष्ट अनियमितता है । उच्च न्यायालय ने दांडिक विधि शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया है और अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है । (पैरा 32)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2005]	2005 क्रिमिनल ला जर्नल 2199 : **हरबंस कौर और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	26
[2000]	(2000) 1 एस. सी. सी. 621 : **पदम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	31
[1964]	[1964] 8 एस. सी. आर. 133 : **मसाल्ती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	25
[1954]	[1954] 1 एस. सी. आर. 145 : **दलीप सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ।	24

निर्दिष्ट निर्णय

[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 140 : **रथीनम** उर्फ **रथीनम** बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य** ;	9
[2010]	(2010) 13 एस. सी. सी. 657 : **सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	9
[2009]	(2009) 9 एस. सी. सी. 719 : **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	11
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 73 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **किशनपाल और अन्य** ;	11
[2002]	(2002) 7 एस. सी. सी. 117 : **नल्लाबोथु वेंकैया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	11
[2002]	(2002) 6 एस. सी. सी. 650 : **बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ;	9
[1973]	[1973] 3 उम. नि. प. 1101 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793 : **शिवाजी सहाबराव बोबडे और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	11

[1973] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 55 :
शिवाजी जेनू मोहिते बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 872.

2012 की दांडिक दोषमुक्ति अपील सं. 36 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के तारीख 11 मार्च, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री मोहम्मद असलम गनी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सय्यद मेहदी इमाम, अतीफ सुहरावर्दी, उमर सिद्दिकी (सुश्री) वर्नीता रस्तोगी और तबरेज़ अहमद

प्रत्यर्थी की ओर से — सुश्री फौज़िया शकील, सर्वश्री उज्ज्वल सिंह, मोजाहिद करीम खान और एम शोयब आलम

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – यह अपील 2012 की दांडिक अपील सं. 36 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा तारीख 11 मार्च, 2015 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा प्रधान सेशन न्यायाधीश, भडेरवाह द्वारा पारित किए गए अपीलार्थी की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसे रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अपराध के लिए 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया और जुर्माने की रकम उसकी संपदा से वसूल करने का निदेश दिया ।

2. अभियोजन पक्षकथन से यथा प्रकटित संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि तारीख 18 मई, 2006 को हार्डवेयर सामग्री का एक दुकानदार अर्थात् अरशद सजाद अपने पिता सजाद अहमद भट (अभि. सा. 9) के साथ सायंकाल में लगभग 5.00 बजे दुकान बंद करने के पश्चात् अपने घर जा रहा था, जब वे रास्ते में थे तब मस्जिद के निकट इस अपील में अपीलार्थी ने विपरीत दिशा से आकर उनका रास्ता अवरुद्ध किया और उन्हें गालियां

देने लगा । जब वे उसकी गालियों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगे तो अपीलार्थी ने अरशद सजाद पर पीछे से उसके सिर पर लोहे की एक छड़ से आक्रमण किया । क्षतिग्रस्त अरशद सजाद और उसका पिता इसके पश्चात् अली मोहम्मद (अभि. सा. 3) नामक व्यक्ति के क्लीनिक पर गए और उसके परामर्श पर वे पुलिस थाना, भडेरवाह गए तथा पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया । तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 341/323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53 रजिस्ट्रीकृत की गई । इसके पश्चात्, पुलिस ने क्षतिग्रस्त को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल, भडेरवाह भेजा । चूंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे बेहतर उपचार के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जम्मू स्थानांतरित किया गया, किंतु क्षतियों के कारण रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई ।

3. पुलिस थाना, भडेरवाह के थाना अधिकारी, निसार अहमद (अभि. सा. 14) ने अन्वेषण आरंभ किया, मृतक के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा, उसके वस्त्र अभिगृहीत किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, रक्तरंजित तथा सादा मिट्टी के नमूने एकत्रित किए और स्थल नक्शा (प्रदर्श पीडब्ल्यू-एनए) और अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किए । तारीख 20 मई, 2006 को अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके बताने पर लोहे की एक छड़ जो हमला करने का आयुध था, बरामद की गई और उसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा । अन्वेषक अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् अन्वेषण किया, जिसमें यह प्रकट हुआ कि वास्तव में मृतक पर आक्रमण करने का अभियुक्त का हेतु दिन में पहले एक वित्तीय लेन-देन को लेकर उनके बीच मृतक की दुकान पर हुए एक झगड़े से संबंधित था । अभिकथित रूप से, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दी गई गारंटी और वचन के आधार पर मृतक ने गियासुद्दीन नामक व्यक्ति को कुछ जी. आई. शीटों का प्रदाय किया था । जब अपीलार्थी मृतक की दुकान पर आया, तो उसने अपीलार्थी पर संदाय करने के लिए जोर दिया । उस बात को लेकर अपीलार्थी और मृतक के बीच हाथापाई हुई थी । फरीद इकबाल (अभि. सा. 1), मृतक के पिता-सजाद अहमद (अभि. सा. 9), अबीद हुसैन (अभि. सा. 10) और अमजद हनीफ (अभि. सा. 12) सहित राहगीरों ने उन्हें अलग-अलग किया । अपीलार्थी ने दुकान से जाते हुए यह घोषणा की कि वह मृतक को किसी और समय देख लेगा और जब सायंकाल में मृतक

और उसका पिता (अभि. सा. 9) अपने घर जा रहे थे, तब अभियुक्त रास्ते में उनसे मिला और मृतक के सिर पर आक्रमण किया ।

4. चूंकि सिर की क्षति के परिणामस्वरूप अरशद सजाद की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 में तब्दील किया गया और तद्नुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. विचारण में, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए कुल 14 साक्षियों की परीक्षा की, जबकि अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा की । विचारण न्यायालय पूर्णरूपेण विचारण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में असफल रहा है और अन्य साक्षियों सहित एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (मृतक का पिता) का कथन असंपुष्टिकारी रहा है, और क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए अभियुक्त को रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 के अधीन अभिकथित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया ।

6. जम्मू और कश्मीर राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील का न्यायनिर्णयन करने के उपरांत उच्च न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष निकाला और यह मत व्यक्त किया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (मृतक के पिता) के साक्ष्य की संपुष्टि मौखिक, दस्तावेजी और विशेषज्ञ साक्ष्य से सम्यक् रूप से की गई है और विचारण न्यायालय ने इसे अनुचित रूप से नामंजूर करके न्याय की गंभीर हानि कारित की है । अतः, उच्च न्यायालय ने रणबीर दंड संहिता की धारा 302/341 के अधीन आरोपों के लिए दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में तब्दील कर दिया और अभियुक्त-अपीलार्थी को इसमें ऊपर उल्लिखित अनुसार दंडादिष्ट किया । इसीलिए अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है ।

7. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने और इसके विधिक पहलुओं पर विचार करने से पूर्व, हम पहले दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करना उचित समझते हैं ।

8. अभियुक्त-अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल मोहम्मद असलम गनी ने यह उल्लेख करते हुए जोरदार रूप से

अपने तर्क प्रस्तुत किए कि संपूर्ण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से की गई ऐसी कई गलतियां हैं जिनको उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के सुविचारित निर्णय को उलटते हुए अनदेखा किया गया है । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की उत्पत्ति को ही विवादग्रस्त करते हुए यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार तारीख 18 मई, 2006 को मृतक द्वारा 8.30 बजे अपराह्न में पुलिस थाना, भडेरवाह में घटना के बारे में मौखिक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषक अधिकारी-निसार अहमद (अभि. सा. 14) के अनुसार, उसने मृतक का कथन 10.00 बजे अपराह्न में अस्पताल में अभिलिखित किया था । किंतु उक्त कथन मुख्य फाइल से गायब है, जिसे सहायक उप निरीक्षक जन मोहम्मद (प्रति. सा. 1) के हस्तलेख में लिखे हुए कथन से बदला गया है और उसकी अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई है । अन्वेषक अधिकारी के कथन के स्थान पर सहायक उप निरीक्षक जन मोहम्मद का कथन प्रतिस्थापित करने के पीछे कारण केवल अपीलार्थी को अपराध में फंसाना है ।

9. यह भी दलील दी गई कि अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी के ठोस हेतु का कोई सबूत न होने और न ही घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने तथा यह तथ्य होने के बावजूद कि मृतक को केवल एक क्षति पहुंची थी, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की निर्दोषिता की उपधारणा के उच्च मानक के साथ मामले पर विचार करना चाहिए था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने विचारण न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का समर्थन करते हुए **रथीनम** उर्फ **रथीनम** बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य**[1], **बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[2] तथा **सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवंलब लिया और यह दलील दी कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई स्पष्ट गलती, अनौचित्य या अवैधता नहीं है ।

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 140.

[2] (2002) 6 एस. सी. सी. 650.

[3] (2010) 13 एस. सी. सी. 657.

10. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने इस न्यायालय को इस बात के लिए प्रभावित करने की कोशिश की कि अभि. सा. 9 अर्थात् मृतक के पिता का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और वह एक हितबद्ध साक्षी है । इसके अतिरिक्त, लेखा (खाता) के पृष्ठ 64 पर, वस्तुतः, यह पाया जा सकता है कि उसमें यह सिद्ध करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जियासुद्दीन द्वारा देय राशि का संदाय करने के लिए अभियुक्त प्रत्याभूति-दाता था । अभि. सा. 9 के इस अभिसाक्ष्य का सहारा लेकर कि वर्ष 2007 में विलायत गनी नामक व्यक्ति ने जियासुद्दीन के नाम में देय रकम का उसे संदाय कर दिया था, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष हेतु और अभिकथित अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है और इसका कारण यह है कि वह कोई और व्यक्ति था जिसने देय रकम का संदाय किया था किंतु अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को गलत रूप से प्रत्याभूति-दाता के रूप में प्रदर्शित किया और उसे इस मामले में अनावश्यक रूप से फंसाया गया ।

11. **शिवाजी सहाबराव बोबडे और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1], **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **किशनपाल और अन्य**[2], **नल्लाबोथु वेंकैया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[3] और **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[4] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का भी अवलंब लेते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही निर्दोष घोषित किया गया था और दोषमुक्त किया गया था, रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए इन महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांतों की अनदेखी की कि परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिएं । अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि घटना के समय असलम और जाकिर नामक व्यक्ति भी घटनास्थल पर थे, किंतु उन्हें साक्षियों के रूप में नामित नहीं किया गया और न ही उनकी परीक्षा की गई । यहां तक कि अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, मृतक के पिता ने भी निश्चित तौर पर यह नहीं देखा था कि मृतक को किसके हाथों क्षति पहुंची थी । उसके अपने शब्दों से यह पाया जा सकता है कि वह मृतक से एक मीटर आगे चल रहा था और अपने पुत्र के

---

[1] [1973] 3 उम. नि. प. 1101 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793.

[2] (2008) 16 एस. सी. सी. 73.

[3] (2002) 7 एस. सी. सी. 117.

[4] (2009) 9 एस. सी. सी. 719.

चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वह पीछे मुड़ा, तो अपीलार्थी वहां से गायब था । ऐसी स्थिति में, एकमात्र रूप से अभि. सा. 9 के साक्ष्य पर आधारित अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका साक्ष्य धारणाओं और उपधारणाओं तथा अनुमानों और अटकलबाजियों से भरा पड़ा है ।

12. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की अगली दलील यह है कि जब मृतक को अस्पताल ले जाया गया था, वह पूर्ण होश में था, किंतु परिचर्या करने वाले डाक्टर ने उपचार की ऐसी उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई ताकि मृतक के जीवन को बचाया जा सके । डाक्टर ने एक्स-रे तक कराने की भी सलाह नहीं दी । वास्तव में, मृतक की मृत्यु के लिए चिकित्सीय उपेक्षा को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए ।

13. दूसरी ओर, जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है, जिसका साक्षियों के साक्ष्य से सम्यक् रूप से समर्थन होता है और चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि होती है । घटना के ठीक पश्चात् मृतक व्यक्तिगत रूप से पुलिस थाने गया था और सूचित किया था कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त ने उस पर आक्रमण किया था । यहां तक कि घटना के पश्चात् तीन घंटे के भीतर अन्वेषक अधिकारी ने क्षतिग्रस्त आहत (मृतक) का कथन, जब उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, अभिलिखित किया था जहां मृतक ने अन्वेषक अधिकारी को और विस्तार से दिन में जिस वित्तीय लेन-देन के संबंध में झगड़ा हुआ था और जिसके लिए अभियुक्त प्रत्याभूति-दाता था, के बारे में बताया था । जब अभिलेख पर स्वयं मृतक के कथन के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य और मृतक के पिता-सजाद अहमद (अभि. सा. 9) का प्रत्यक्षदर्शी कथन उपलब्ध है, तो अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने के लिए और अधिक दायित्वाधीन नहीं है । इसके साथ-साथ, उन सभी साक्षियों की परीक्षा करना भी अतात्विक है, जो क्षतिग्रस्त को अस्पताल लेकर गए थे । इसी प्रकार, हमले के बारे में पुलिस को सूचित करने की अली मोहम्मद (अभि. सा. 3) की सलाह पर जब मृतक जल्दी-से-जल्दी पुलिस थाने पहुंचा, तब उसका ध्यान पुलिस को केवल इस सीमा तक सूचित करने का रहा होगा कि वह कैसे क्षतिग्रस्त हुआ और वह तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करे, और किसी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति से उसी समय पर संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करने की

प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपराध में आलिप्त करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का ठीक ही निर्धारण किया है और एक विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में तब्दील किया है, जिसके लिए अभियुक्त-अपीलार्थी दायी था क्योंकि उसने मृतक पर वह धन संदाय करने की केवल मांग करने पर अमानवीय आक्रमण किया था, जिसके लिए वह प्रत्याभूति-दाता था ।

14. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् हम दलीलों पर एक-एक करके विचार करेंगे । अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की सर्वप्रथम दलील तारीख 18 मई, 2006 को रजिस्ट्रीकृत की गई 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53 पर टिके विश्वास के विषय में है । हम अभिलेख पर सामग्री से यह पाते हैं कि घटना के ठीक पश्चात् मृतक और उसका पिता-सजाद अहमद (अभि. सा. 9) प्राथमिक उपचार के लिए अली मोहम्मद (अभि. सा. 3) के क्लीनिक पर गए थे और फिर उसकी सलाह पर वे लगभग 8.45 बजे अपराह्न में पुलिस थाने गए और एक मौखिक शिकायत दर्ज कराई । इस मौखिक शिकायत के आधार पर 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 53 रजिस्ट्रीकृत की गई और अन्वेषण का कार्य हैड कांस्टेबल, वेद राज (सं. 185) को सौंपा गया । इस तथ्य की अभिपुष्टि मृतक के पिता (अभि. सा. 9), अली मोहम्मद (अभि सा. 3) और अन्वेषक अधिकारी, निसार अहमद (अभि. सा. 14) के परिसाक्ष्यों द्वारा होती है । अभि. सा. 3 के अनुसार, घटना के दिन मृतक और उसका पिता दो-चार व्यक्तियों के साथ क्षतिग्रस्त/मृतक के उपचार के लिए उसके क्लीनिक पर आए थे, जिस पर उसने कोई उपचार किए बिना उन्हें पहले पुलिस थाने जाने की सलाह दी थी ।

15. अन्वेषक अधिकारी, निसार अहमद (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया कि मौखिक रिपोर्ट मुंशी द्वारा लिखी गई थी और इस साक्षी ने उस पर (पर्चा-53) अपने हस्ताक्षर किए थे । यह औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात् उसने अन्वेषण का कार्य हवलदार वेद राज को सौंपा था । उसके पश्चात् उसने सबसे पहले क्षतिग्रस्त को अस्पताल भेजा और बाद में लगभग 11.00 बजे अपराह्न में वह अस्पताल में क्षतिग्रस्त के पास गया । उसके उपरांत, उसकी हालत गंभीर पाए जाने पर उसने अन्वेषण का कार्य संभाला और क्षतिग्रस्त का कथन अभिलिखित किया और रणबीर दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध जोड़ा गया । उसने विनिर्दिष्ट रूप

से यह उल्लेख किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन उसके अपने हस्तलेख में नहीं था किंतु उसने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे । हमारी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतक द्वारा पुलिस थाने में की गई मौखिक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो कि एक विश्वसनीय दस्तावेज है और शिकायत घटना के ठीक पश्चात् की गई थी । इस न्यायालय ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्व शब्दकोश नहीं है । यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते समय इसमें अपराध से संबंधित प्रत्येक ब्यौरा अंतर्विष्ट होना चाहिए । यहां इस मामले में इत्तिलाकर्ता, जिसे गंभीर सिर पर क्षति पहुंची थी और जो अपने पिता (अभि. सा. 9) के साथ अभि. सा. 3 के क्लीनिक पर और बाद में पुलिस थाने गया था, अत्यधिक तनाव में रहा होगा । ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक दशा को समझा जा सकता है । ऐसी मानसिक हालत में, उनके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में घटनाओं का संपूर्ण घटनाक्रम प्रकट करने में असफल रहना न तो अस्वाभाविक है और न ही अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । विचारण न्यायालय द्वारा मृतक के दो कथनों का गलत अर्थान्वयन किया गया है जिनमें से एक घटना के ठीक पश्चात् पुलिस थाने में किया गया था और दूसरा अस्पताल में तब किया गया था जब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी । हमारा यह मत है कि मृतक के अस्पताल में किए गए पश्चात्वर्ती कथन का, जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था, अभि. सा. 9 के साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है तथा इसे अविश्वसनीय मानने का कतई कोई कारण नहीं है और इस बाबत दी गई दलील सारहीन है ।

16. एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि अपराध कारित करने का कोई हेतु नहीं था और ठोस हेतु के अभाव में अपीलार्थी को रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, हेतु का पता उस पहली घटना के विषय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य से लगाया जा सकता है, जो मृतक और अभियुक्त के बीच एक लेन-देन के सिलसिले में धन के संदाय के संबंध में घटी थी, जिसमें अभियुक्त प्रत्याभूति-दाता था । पूर्ववर्ती झगड़े के कारण ही पश्चात्वर्ती घटना घटी थी जिसमें अभियुक्त ने लोहे की एक छड़ से मृतक पर प्रहार किया था और जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी । यह मत व्यक्त करना समुचित है कि हॉल्सबरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड, तृतीय संस्करण में "हेतु" के विषय में यह कहा गया है कि "अभियोजन पक्ष हेतु

को साबित कर सकता है, किंतु किसी अपराध के लिए हेतु को साबित करना आबद्धकर नहीं है" । "हेतु" एक मनोवेग है जो व्यक्ति को एक विशिष्ट कृत्य करने के लिए बाध्य करता है । किंतु सभी मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए वास्तविक हेतु को साबित करना अत्यंत कठिन होगा । हेतु एक दुधारी हथियार है, जब अभिलेख पर प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तो हेतु महत्वहीन हो जाता है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु का महत्व प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले के बजाय और अधिक हो जाता है । प्रत्यक्ष और अकाट्य साक्ष्य के मामले में, यदि यह धारणा भी कर ली जाए कि किसी हेतु का होना नहीं समझा जा सकता है, फिर भी अभियोजन के वृत्तांत की परीक्षा की जानी चाहिए । किसी दांडिक मामले में हेतु की विद्यमानता के महत्व के संबंध में यहां **शिवाजी जेनू मोहिते** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विनिश्चयाधार पर विचार करना उपयोगी होगा ।

> "यदि अभियोजन पक्ष प्रेरित करने वाले हेतु का पता लगाने में समर्थ नहीं रहा है, तो इस बात से उस साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना साबित किया गया है । निस्संदेह, हेतु के बारे में साक्ष्य उन मामलों में अत्यधिक महत्व रखेगा जो पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हैं । ऐसे मामले में ऐसे साक्ष्य से परिस्थितियों की शृंखला में एक और कड़ी जुड़ जाएगी । किंतु ऐसा उन मामलों में नहीं होगा, जहां विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, यद्यपि ऐसे मामलों में भी यदि हेतु को उचित रूप से साबित किया जाता है, तो ऐसे सबूत से अभियोजन का पक्षकथन मजबूत हो जाएगा और न्यायालय द्वारा निकाले गए अंततोगत्वा निष्कर्ष को पुष्ट करेगा । किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि हेतु सिद्ध नहीं होता है तो किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है ।"

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें यह परीक्षा करनी है कि क्या अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में सफल रहा है और अभियुक्त के अभिकथित कृत्य को साबित करने के लिए अभिलेख पर क्या साक्ष्य उपलब्ध है । प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 9 के अनुसार, मृतक ने कुछ जी. आई. टीन की शीटें गियासुद्दीन नामक व्यक्ति को प्रदाय की थीं और

---

[1] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 55.

अभियुक्त इसके संदाय के लिए प्रत्याभूति-दाता था । घटना के दिन जब मृतक ने अभियुक्त से धन का संदाय करने की मांग की तो वह नाराज हो गया और मृतक की गर्दन पकड़ ली तथा उसकी पिटाई करने लगा, जिससे उसकी गर्दन की दाईं तरफ रगड़ के कुछ चिह्न भी पड़े हुए पाए थे । उस सुसंगत समय पर, फरीद इकबाल (अभि. सा. 1), अमजद हनीफ (अभि. सा. 12) और अबीद हुसैन (अभि. सा. 10) वहां मौजूद थे और उन्होंने उनको अलग-अलग किया था । तब अभियुक्त ने मृतक को यह धमकी दी थी कि वह किसी समय उसे देख लेगा । मृतक दुकान बंद करने के पश्चात् जब अपने पिता के साथ घर जा रहा था, तो रास्ते में अभियुक्त अपने हाथ में लोहे की एक छड़ लिए हुए विपरीत दिशा से सामने आया और उनका रास्ता अवरुद्ध किया तथा उन्हें गालियां दीं । जब वे आगे बढ़े, तो अभियुक्त ने छड़ से मृतक के सिर पर प्रहार किया, जिसके कारण वह लहुलुहान होकर नीचे गिर गया । जब अभि. सा. 9 ने अपने पुत्र के चिल्लाने पर प्रतिक्रिया की, तो अभियुक्त घटनास्थल से गायब हो गया । उसके पश्चात्, वे प्राथमिक उपचार के लिए एक स्थानीय डाक्टर (अभि. सा. 3) के पास गए और फिर पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट दी ।

18. अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि तारीख 21 मई, 2006 को पुलिस द्वारा अभियुक्त के बताने पर अपराध के आयुध के रूप में प्रयुक्त 3 फुट लंबी और 8 सेंटीमीटर परिधि की लोहे की छड़ प्रदर्श पीडब्ल्यू-एमएच1 द्वारा बरामद की गई थी । मोहम्मद हफीज़ (अभि. सा. 2) और अबीद हुसैन (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से भी अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होती है और हमले की बात साबित होती है क्योंकि अभि. सा. 2 और 10 ने स्वयं मृतक से उस पर हमले होने की बात सुनी थी । अभि. सा. 10 ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दिन के समय अभियुक्त और मृतक के बीच मृतक की दुकान पर झगड़ा होते हुए और अभियुक्त द्वारा धमकी देते हुए भी देखा था । उसने यह भी कथन किया कि मृतक को उसकी मोटर साइकिल पर अस्पताल ले जाया गया था और वह मृतक का दाह-संस्कार होने तक सारे समय उसके साथ था । अभि. सा. 2 और 10 ने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त के बताने पर अपराध के आयुध (लोहे की छड़) की बरामदगी को भी देखा था, क्योंकि पुलिस द्वारा आयुध की बरामदगी उनकी मौजूदगी में की गई थी । अतः, अभि. सा. 2 और 10 की मौजूदगी में आयुध की उक्त बरामदगी से और उनके अभिसाक्ष्यों से अभियोजन का पक्षकथन संपुष्ट और मजबूत

होता है ।

19. हमने डा. राज कुमार (अभि. सा. 13) के साक्ष्य पर भी अति सावधानीपूर्वक विचार किया है, जिसने तारीख 19 मई, 2006 को मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (उपाबंध पी/2) से यह दर्शित होता है कि मृतक को निम्नलिखित क्षतियां पहुंची थीं :–

1. बाएं ललाटीय पार्श्विक क्षेत्र पर 1.5 सें. मी. × 0.25 सें. मी. हड्डी की गहराई तक विदीर्ण घाव (टांके लगा हुआ) ।

2. गर्दन की दाईं तरफ 1/2 सें. मी. लंबाई के तीन रेखाकार खरोंच के चिह्न ।

आंतरिक परीक्षण करने पर डाक्टर ने पाया –

1. बाईं कनपटी के ललाटीय क्षेत्र पर खरोंचें ।

2. बाएं लैमप्रे पार्श्विक क्षेत्र पर खोपड़ी के भीतर हेमाटोमा ।

3. बाएं ललाटीय खंड पर लोब टोर्न मेराजिज ।

4. अंदर स्थित बाईं ललाटीय पार्श्विक लोब विर्दीण ।

डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि 12 घंटे की अवधि के भीतर किसी कुंद वस्तु से सिर पर पहुंची क्षति मृत्यु का कारण थी । डाक्टर द्वारा अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । यह भी प्रकट किया गया कि अस्पताल में आरंभिक उपचार करते समय मृतक ने उसे बताया था कि जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो किसी व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया था । डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बात स्पष्ट की कि जब मृतक को पर्यवेक्षण में रखा गया था, तब वह पूरे होश में था और एक शल्यक्रिया विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था । रोगी को बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जम्मू स्थानांतरित करने हेतु ऐंबुलेंस भी प्रदान की गई थी । वह एक्स-रे की अन-उपलब्धता के कारण आंरभ में बाएं ललाटीय पार्श्विक अस्थि के अस्थिभंग का पता नहीं लगा सका था, किंतु यदि इसका पता भी लग जाता, तब भी यह घातक ही हो सकता था, किंतु कुछ मामलों में यदि विशेषज्ञता-प्राप्त उपचार दिया जाता है तो जीवन बचाया जा सकता है । हमारे सुविचारित मत में, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और डा. राज कुमार (अभि. सा. 13) के साक्ष्य से अभि. सा. 9 के साक्ष्य की पूर्ण रूप से संपुष्टि होती है ।

20. अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, हमारा यह निष्कर्ष है कि फरीद इकबाल (अभि. सा. 1) ने, जो एक स्वतंत्र साक्षी है, उस झगड़े की बात को साबित किया है जो मृतक की दुकान पर हुआ था और क्रोधित अभियुक्त मृतक को यह चेतावनी और धमकी दे रहा था कि वह उसे किसी समय देख लेगा । अभि. सा. 4-नज़ीर अहमद ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने मरणोत्तर परीक्षा के समय कोरे कागज़ पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे । तथापि, उसने मृतक का शव (प्रदर्श पीडब्ल्यू-एनएच) प्राप्त करने की बात को साबित किया है । अभि. सा. 5-रियाज़ अहमद ने भी मृतक का शव प्राप्त करने की बात को साबित करते हुए यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक की मृत्यु के 20-25 दिन पश्चात् पुलिस ने मृतक की दुकान से एक रजिस्टर अभिगृहीत किया था और वह उसका साक्षी था । अभि. सा. 7- मोहम्मद रमज़ान ने यह कथन किया कि जब वह वर्ष 2006 में अस्पताल गया था, तब उसकी मौजूदगी में मृतक के शरीर से वस्त्र उतारे गए थे । तद्नुसार, उसने मृतक के वस्त्रों को अभिगृहीत करते हुए देखा था और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पीडब्ल्यू-एमआर) पर अपने हस्ताक्षर किए थे । मोहम्मद सलीम (अभि. सा. 8) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने मृतक के वस्त्र अभिगृहीत किए थे और उसने अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए थे । अभि. सा. 11-इस्तियाक अहमद और अभि. सा. 12-अमजद हनीफ ने भी अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतः समर्थन किया है ।

21. प्रतिरक्षा साक्षी जन मोहम्मद (प्रति. सा. 1) के साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि सुसंगत समय पर वह सहायक उप निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, वह अच्छी तरह से उर्दू लिख और पढ़ सकता था, जबकि अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) उर्दू नहीं लिख सकता था । इसलिए अन्वेषक अधिकारी के निदेश पर उसने प्रदर्श, जैसे कि स्थल नक्शा (प्रदर्श पीडब्ल्यू एनए), अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पीडब्ल्यू एसएच 2), फर्द इंकशाफ (प्रदर्श पीडब्ल्यू एनएच), फर्द बरामदगी (प्रदर्श पीडब्ल्यू एनएच 1), फर्द सुपुर्दनामा (प्रदर्श पीडब्ल्यू एसएच3), फर्द जमा तलाशी (प्रदर्श पीडब्ल्यू एनएवी) और साक्षियों के कथन स्वयं अपने हस्तलेख में तैयार किए थे । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह पता चला कि वह अभियुक्त का एक विशिष्ट संबंधी है और केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षित है । अन्वेषण उसके द्वारा नहीं किया गया था, अपितु अन्वेषक अधिकारी के निदेशों पर उसने केवल ज्ञापनों के आलेखन का कार्य किया था, जिनमें उसकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद रही क्योंकि उसने अभियोजन के पक्षकथन

को तब्दील करने की कोशिश की थी । ऐसे मामले में, हम उसके अभिसाक्ष्य को कोई महत्व नहीं दे सकते हैं ।

22. यह दलील दी गई कि अभियुक्त अभिकथित लेन-देन का बिल्कुल भी प्रत्याभूति-दाता नहीं था और उसे इस मामले में अनावश्यक रूप से फंसाया गया था । हमारे मत में, इस न्यायालय को यह पता लगाने के लिए वित्तीय लेन-देन की तह में जाने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक ने, जो हार्डवेयर की वस्तुओं का एक छोटा व्यापारी था, अपनी लेखा बहियों को उचित क्रम में रखा था या नहीं और कौन ऋणी है और कौन प्रत्याभूति-दाता है । हमारा सरोकार इस बात पर विचार करना है कि क्या अभियुक्त ने वह आरोपित कृत्य किया था जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई और क्या अभियुक्त विधि के अनुसार दंडित किए जाने का दायी है । यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय गुमराह हुआ और मामले से जुड़ी सामग्री और विधिक पहलुओं की अनदेखी करके अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया ।

23. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता इंगित होती है और अपराध कारित करने के लिए हेतु को साबित न करने की बात इस मामले के तथ्यों में महत्वहीन हो जाती है ।

24. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक का पिता, सजाद अहमद (अभि. सा. 9) अकेला व्यक्ति था जो घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था । अतः, संपूर्ण मामला उसके साक्ष्य की सत्यता पर निर्भर है । अभि. सा. 9 के मृतक का पिता होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने स्वाभाविक रूप से यह अभिकथन किया कि वह एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । हम ऐसी दलीलों का समर्थन नहीं कर सकते हैं । इस न्यायालय ने कई मामलों में हितबद्ध साक्षी की सत्यता के पहलू पर विचार किया है । **दलीप सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया है :–

> "साधारणतया, कोई घनिष्ठ संबंधी वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा । यह सही है कि

---

[1] [1954] 1 एस. सी. आर. 145.

जब भावनाएं अतिरेक पर हों और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण हो, तब साक्षी की जिस निर्दोष व्यक्ति के प्रति दुश्मनी है, उसे भी दोषी व्यक्ति के साथ घसीटने की प्रवृत्ति रहती है, किंतु ऐसी किसी आलोचना का अवश्य आधार होना चाहिए और कोई आधार न होने के कारण नातेदारी का तथ्य प्रायः सत्यता की निश्चित गारंटी होती है ।"

25. **मसाल्ती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी दांडिक न्यायालय को ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है, जो पक्षपाती या हितबद्ध हैं, तो न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का विवेचन करने में अति सावधान रहना चाहिए । साक्ष्य में कमियां हैं या नहीं, न्यायालय को साक्ष्य असली लगता है या नहीं, साक्ष्य द्वारा प्रकटित वृत्तांत अधिसंभाव्य है या नहीं, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए । किंतु, हमारे विचार में, यह दलील देना अयुक्तियुक्त होगा कि साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य केवल इस आधार पर त्यक्त कर दिया जाए कि यह पक्षपाती या हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य है । प्रायः, जहां गांवों में गुटबाजी रहती है और ऐसी गुटबाजी के परिणामस्वरूप हत्याएं की जाती हैं, तो दांडिक न्यायालयों को पक्षपाती प्रकार के साक्ष्य पर विचार करना चाहिए ।

ऐसे साक्ष्य को केवल इस आधार पर यंत्रवत् नामंजूर कर देने से कि यह पक्षपाती है, निरपवाद रूप से न्याय की हानि होगी ।"

26. विधि में ऐसी कोई प्रतिपादना नहीं है कि नातेदारों को असत्य साक्षियों के रूप में समझा जाए । इसके विपरीत, जब पक्षपात का अभिवाक् किया जाता है, तो यह दर्शाने के लिए कारण दर्शित किए जाने चाहिएं कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने का कारण है (**हरबंस कौर और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[2]) ।

27. यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य विश्वासोत्पादक है, भले

---

[1] [1964] 8 एस. सी. आर. 133.

[2] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 2199.

ही वह आहत का घनिष्ठ नातेदार है, तो संपुष्टि की ईप्सा किए बिना छोटी-मोटी तात्विक विशिष्टियों के साथ उसका अवश्य अवलंब लिया जाना चाहिए । निस्संदेह यह सत्य है कि न्यायालयों को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते समय अवश्य सचेत रहना चाहिए । जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अभि. सा. 9 द्वारा अपने साक्ष्य में किए गए घटना के वर्णन से स्पष्ट रूप से वह रीति प्रतिबिंबित होती है जिस रीति में अभियुक्त ने मृतक पर आक्रमण किया था और सिर पर घातक क्षति कारित की थी । मृतक के पिता (अभि. सा. 9) के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में करना चाहिए ।

28. हमारी राय में, अभि. सा. 9 का परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक है और घटनाओं की शृंखला तथा इसके पारिस्थितिक साक्ष्य से उसके कथन का पूर्ण रूप से समर्थन होता है और इसके परिणामस्वरूप अभियोजन का पक्षकथन किसी संदेह के बिना मजबूत होता है । हमें यह विश्वास करने में कोई संकोच नहीं है कि अभि. सा. 9 घटना का एक "स्वाभाविक" साक्षी है । सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि उसका साक्ष्य अंतर्निहित रूप से विश्वसनीय और पूर्णतः भरोसेमंद हैं ।

29. यह तर्क कि अभि. सा. 9 के साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह घटना के समय मृतक से एक मीटर आगे चल रहा था और वह यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसने लोहे की छड़ से मृतक पर प्रहार किया था, ठीक नहीं है और परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करते हुए इस तर्क को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है । यह भी प्रतिवाद किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी । यह आवश्यक नहीं है कि अपराध को साबित करने के लिए प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को भी, जिसने अभियुक्त को आहत पर प्रहार करते हुए देखा था, क्षतियां पहुचीं हों । ऐसी दलीलें सारहीन हैं और विचार करने योग्य नहीं हैं ।

30. न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते समय अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अपितु मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं पर विचार करना चाहिए । न्यायालय को छुट-पुट विरोधाभासों के आधार पर साक्ष्य को समग्रतः नामंजूर नहीं करना चाहिए । कभी-कभी, सत्यभाषी साक्षी के साक्ष्य में भी, सूक्ष्म ब्यौरों को स्मरण रखने और उद्धृत करने के उनके सामर्थ्य के आधार पर कतिपय विरोधाभास प्रकट हो सकते हैं । विशिष्ट रूप से दांडिक मामलों में, घटना की तारीख

से लेकर उनके न्यायालय में साक्ष्य देने तक वर्षों का अंतराल हो सकता है । अतः, न्यायालयों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और साक्ष्य का विवेचन करना चाहिए । ऐसी विसंगतियां और विरोधाभास, जो मामले की तह तक नहीं जाते हों, उन्हें महत्व नहीं दिया जाएगा । किसी भी दशा में, न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान सारभूत न्याय करने की ओर होना चाहिए । हमारा यह विचार है कि विचारण न्यायालय ने अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और उसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया ।

31. विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की गुंजाइश बहुत कम होती है और उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के अति सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करके गलती की है । **पदम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जिसमें इस न्यायालय ने अपील न्यायालय के कर्तव्य को स्पष्ट करते हुए यह अभिव्यक्त किया है :–

> "अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करे और इस स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है या नहीं और यदि उसका अवलंब लिया जा सकता है, तब क्या उक्त साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने इसे युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है । अपील न्यायालय द्वारा किसी साक्षी की विश्वसनीयता का न्यायनिर्णयन साबित और स्वीकृत तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर किया जाना चाहिए । यह स्मरणीय है कि विचारण न्यायालय की तरह अपील न्यायालय का भी सकारात्मक रूप से यह समाधान हो जाना चाहिए कि अभियोजन का पक्षकथन सारवान् रूप से सत्य है और अभियुक्त की दोषिता सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई है क्योंकि निर्दोषिता की उपधारणा, जिसके साथ अभियुक्त की शुरुआत होती है, तब तक जारी रहती है जब तक कि उसे अंतिम अपील न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है और यह उपधारणा विचारण न्यायालय में उसकी दोषमुक्ति से न तो मजबूत होती है और न ही उसकी दोषसिद्धि से कमजोर होती है ।"

32. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की शक्ति वैसी

---

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 621.

ही है जो दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में है । किंतु दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में होती है और यह दोषमुक्ति के आदेश द्वारा और मजबूत हो जाती है । साथ ही, अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में मुख्य रूप से वहां हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि दो मत संभव हैं, किंतु केवल तब हस्तक्षेप करेगा जब उच्च न्यायालय यह समझता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन गलत बातों पर आधारित है और जब विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में स्पष्ट अवैधता हो । प्रस्तुत मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन में स्पष्ट अनियमितता है । उच्च न्यायालय ने दांडिक विधि शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया है और अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है ।

33. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए और संपूर्ण सामग्री के सिंहावलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है और अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील में कोई सार नहीं है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.